भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 460

04 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

घरेलू इस्पात उद्योग

460. श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत के इस्पात उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार घरेलू इस्पात उद्योग विशेषकर लघु और मध्यम उत्पादकों को बढ़ावा देने का है ; और

(ग) क्या सरकार इस्पात उद्योग को आपूर्ति किए जाने वाले लोहे और कोयले जैसे कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए कोई नीति बना रही है ताकि भारत की इस्पात उत्पादन लागत स्थिर रहे और इसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इस्पात उपलब्ध कराया जा सके ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है जहां लौह अयस्क, कोकिंग कोल और तैयार इस्पात आदि जैसे कच्चे माल के मूल्य बाजार की गतिशीलता द्वारा निर्धारित होते हैं। सरकार देश में छोटे और मध्यम स्तर के उत्पादकों को शामिल करते हुए इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने भारत के इस्पात उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा और निवेशों का विस्तार:

क. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ख. सरकार ने देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का शुभारंभ।

जारी....

ii. कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार और कच्चे माल की लागत कम करना:

क. फेरो निकल, जो एक कच्चा माल है, का मूल सीमा शुल्क 2.5 % से घटाकर शून्य करते हुए इसे शुल्क मुक्त करना।

ख. बजट 2024 में फेरस स्क्रैप पर शुल्क की छूट को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाना।

iii. आयात निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण:

ग. घरेलू इस्पात उद्योग को आयातों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयातों की प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप देना।

घ. इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की शुरुआत करना, जिससे उद्योग, उपयोगकर्ताओं और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

******